E-mail Only

From,

Shikha Pradhan,
Nodal Officer (Computer)/
Special Judge POCSO Act,
Kasganj.

To,

The Joint Registrar (J) (Computer),
Hon'ble High Court,
Allahabad.

Through:- The District Judge,
Kasganj.

Subject:-Regarding uploading of notification for auction of crop of three mango groves (a total of 184 mango trees), on the official website of the Hon'ble High Court Allahabad for public information.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have the honour to submit that an auction for the crop of 184 Mango trees situated in three mango groves in the Court Campus, for the period of 01.09.2025 till 31.08.2027 is going to be organized in Judgeship Kasganj.

Therefore, it is, requested to your good self kindly upload the Auction notification on the official website of Hon'ble High Court, Allahabad for public information.

With regards.

Yours faithfully

Shikha Pradhan

(Shikha Pradhan)
Nodal Officer (Computer)/
Special Judge POCSO Act,
Kasganj.
31.07.2025

Encl: As above.

No 1260/XV/Civil. Dated 31/07/25
Forwarded

District Judge, Kasganj
31.07.25

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

नीलामी उदघोषणा

एतदृदवारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कासगंज के अनुमोदन आदेश दिनांक 25.07.2025 के अनुपालन में जनपद न्यायालय मामों कासगंज परिसर में स्थित तीन आम के छोटे बागों (कुल 184 आम के पेडा) की आगामी दो फसल नीलामी अवधि (दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.08.2027 तक) दिनांक 13.08.2025 को सांय 4.30 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के भूतल पर स्थित मीटिंग हॉल में सम्पादित की जायेगी, इच्छुक व्यक्ति समय पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते है। ठेके में शमिल होने के लिये प्रत्येक बोलीदाता को 11.08.2025 की शाम 05.00 वजे तक न्यायालय के केन्द्रीय नजारत अनुभाग मे अपनी–अपनी जमानत धनराशि के साथ एक आई0डी0 प्रूफ जमा करना होगा। ठेके का विवरण एवं शर्तो के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज से प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायालय मामों कासगंज परिसर में स्थित तीन आम के छोटे बागों (कुल 184 आम के पेडा) की आगामी दो फसल नीलामी अवधि (दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.08.2027 तक) के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया की जानी है।

1. ठेके की अवधि केवल आगामी दो फसल हेतु (दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.08.2027 तक) के लिये मान्य होगी।
2. सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता के पक्ष मे ठेका स्वीकृत किया जायेगा।
3. प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से दो दिन (11.08.2025 की शाम तक) पूर्व अंकन 5000/– रूपये जमा करना होगा तथा साथ में अपना आई0डी0 प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
4. बोली बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति काली सूची के अर्न्तगत न आता हो, तथा उसके बिरूद्व कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन हो।
5. ठेके की धनराशि का 1/4 भाग ठेका स्वीकृति के समय जमा करना होगा, शेष 1/4 भाग माह जनवरी 2026 में जमा करना होगा तथा शेष 1/4 भाग माह जून 2026 में तथा शेष 1/4 भाग दिसम्बर 2026 में जमा करना होगा।
6. बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।
7. ठेका स्वीकृत होने के उपरान्त बागों में सिचाई, दवाओं का छिडकाव, नराई–गुराई इत्यादि का खर्च ठेकेदार को स्वयं करना होगा। विभाग द्वारा किसी भी धनराशि का वहन नही किया जायेगा।
8. ठेकेदार को वागो की साफ–सफाई एवं वागो के आस–पास की जगह की साफ–सफाई स्वंय करनी होगा।
9. ठेकेदार के पक्ष में छोडे गये ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र स0 31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तो के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/– रूपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

दिनांकः– 26.07.2025

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष स0– 01,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No.562/19-2-2007(T.C.) दिनांकित 040.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. 18 न्यायालय कक्ष भवन जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्य न्यायालय इलाहाबाद की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांकः– 26.07.2025

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष स0– 01,
कासगंज।